पत्रांक : 264943/ XXVII(1)/2024

प्रेषक,

दिलीप जावलकर
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित,

समस्त वित्त नियंत्रक/
वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड सरकार।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 31 दिसम्बर, 2024

विषयः राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद सेवायें तथा परामर्शी सेवायें लिये जाने हेतु निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–96873/ XXVII(7)/E–43511/ 2022 दिनांक 07.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य के सरकारी विभागों/स्वायशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद (Architectural)/परामर्शी सेवायें लिये जाने में कन्सेंल्टेंसी शुल्क का निर्धारण एकमुश्त (Lump-Sum) आधार पर किये जाने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि व्यय वित्त समिति (EFC) तथा उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठकों में संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2023 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार वास्तुविद/परामर्शी सेवाओं हेतु एकमुश्त दरों का भुगतान न करते हुए, शासनादेश के प्रतिकूल अधिक दरों का भुगतान किया जा रहा है जो कि वित्तीय दृष्टि से नितान्त आपत्तिजनक तथा राज्य के वित्तीय हितों के विरूद्ध है।

3– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने–अपने संबंधित सरकारी विभागों/स्वायशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद/परामर्शी सेवाओं हेतु कन्सेंल्टेंसी फीस का निर्धारण एकमुश्त (Lump-Sum) आधार पर कराया जाना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत कराया जाए कि शासनादेश दिनांक 07.02.2023 के निर्गत होने के उपरान्त किन–किन कार्यों हेतु किस दर पर कितनी धनराशि कन्सेंल्टेंसी शुल्क के रूप में भुगतान की गयी है ? उक्त के अतिरिक्त यदि शासनादेश दिनांक 07.02.2023 की व्यवस्था के प्रतिकूल निर्धारित एकमुश्त शुल्क से अधिक दर पर कन्सेंल्टेंसी शुल्क का भुगतान किया गया हो तो तत्सम्बन्धी कार्यों की सूची भी वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: (दिलीप जावलकर)
31-12-2024 13:45:31
सचिव

संख्या : 264943 /XXVII(1)/2024, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कार्यदायी संस्थायें, उत्तराखण्ड।
6. नियोजन विभाग/तकनीकी ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव